MAC - 5

NAGAR PALIKA PARISHAD

City Board Mussoorie

Book No. 570

RECEIPT H.T 360/-
S.T 113/-
473/-

Receipt No. 93

MUNICIPALITY..

Demand Register No. 1841/4

Received from श्री हिमांशु [illegible] S/o श्री [illegible]

Rupees (in words) चार सौ तिहत्तर मात्र

On account of भवनकर व [illegible]

Premises No. [illegible]

for the period..

in full/part Payment of demand bill No. 2019-20 Dated..........

Dated 26/9/19

H.T. ....

W.C./Rents/etc. 473/-

Total Rs.

Executive Officer..............................

Tax Collector..............................

Clerk incharge of demand and collection 26/9/19

Register..............................

Tax Superintendent 473/-

Cashier.......... Accountant..........

C B.M From No. 288		# CITY BOARD MUSSOORIE		
Serial No. 5309 Demand No. 4/1841/1614		Date of presentation of Bill		To, Himanshu Bhatt S/O Hari Datt Bhatt and Others Circular Road Wincent Hill Mussoorie
In Demand & Collection Register				
Bill No.	17282			
Book No.				

PARTICULAR				Period	Gross Amount Payable		Net payable if paid with in 30 days of Presentation
Name of Building/Property		Shail Shikhar		upto 31-03-2018	Arrear	0.0	0.0
House Tax / Service Charges On					Advance	0.0	0.0
ARV	3000.0	@ Rs. 15%	450.0	2019-20	Current Demand	450.00	360.00
Rebate	90.0						
IMPORTANT				Total		450.00	360.00

1- If the amount of this Bill is paid with in 30 days of presentation, the amount payable is Rs.**360.00**

2- To with hold payment beyond the days of grace will forfeit rebate.

3-Payment will be accepted in Cash/Local Cheque/or Bank draft in the name of Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mussoorie.

The amount of this Bill must be paid within 30 days of presentation, falling which a notice of demand shall be issued and if necessary a distress warrant.

Tax Superintendent
For Executive Officer
CITY BOARD MUSSOORIE
Date

Form No. 4

Name & Particulars of Demand	Period	Amount
Arrear Scavenging Tax	upto 31-03-2018	0.0
Advance Scavenging Tax	2019-20	0.0
Current Scavenging Tax		112.50
Total		113.00

The amount of the bill must be paid within 15 days of presentation after that a notice of demand shall be issued and if necessary distress warrant.

Date

Signature
Designation

नोटः- भविष्य में बिलों को ई-मेल से प्रेषित किये जाने हेतु कृपया अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल कार्यालय मे प्रेषित करें।
यह बिल पुराने Assessment के आधार पर बनाया गया है। Assessment का कार्य पूर्ण होने पर अन्तर का बिल बाद मे भेजा जायेगा जिस पर नियम अनुसार छुट देय होगी।

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK42976725945889R
Certificate Issued Date	:	10-Oct-2019 01:17 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1260104/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK126010488346015439259R
Purchased by	:	HIMANSHU BHATT
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	HIMANSHU BHATT
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	HIMANSHU BHATT
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

At.No.-L.No.-158
Chirendra Prasad Kothiyal
STAMP VENDOR
Court Compound, Dehradun.

-----Please write or type below this line-----

NOTARIAL NOTARIAL
NOTARY GOVT. OF UTTARAKHAND INDIA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथ पत्र

समक्षः– जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद देहरादून।

मैं हिमांशू भटट पुत्र स्व0 श्री एच0 डी0 भटट, निवासी–शैल शिखर, विनसेट हिल, सरकुलर रोड (चमन स्टेट), मसूरी, जनपद–देहरादून, उत्तराखण्ड घोषण करता हूं कि

1– यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।

2– यह कि मैं शैल शिखर, विनसेट हिल, सरकुलर रोड (चमन स्टेट), मसूरी, जनपद–देहरादून में अपने आवासीय भवन को अतिथि–उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) नियमावली के अन्तर्गत पंजीकरण कराने का इच्छुक हूं, जिस हेतु मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है/किया जा रहा है।

3– यह कि उक्त आवासीय परिसम्पत्ति मेरे पिताजी श्री एच0डी0 भटट द्वारा क्रय की गयी थी, जिनकी मृत्यु होने तथा मेरी माताजी श्रीमती शैल भटट की भी मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त परिसम्पत्ति मेरे शपथकर्ता एवं मेरी बहन श्रीमती हिमानी शिवपुरी की संयुक्त रुप से है।

4– यह कि उक्त आवासीय भवन के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद–विवाद नही है।

5– यह कि उक्त आवासीय भवन के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। ऐंसी स्थिति में मेरा इस योजनान्तर्गत पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार विभाग का होगा।

–घोषणा–

उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य सत्य व सही हैं, कोई तथ्य छिपाया नही गया है, यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाय तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। ऐंसी स्थिति में मेरी इकाई का पंजीकरण निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक 10.10.2019 को मैं शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गयी शपथ पत्र की सभी तथ्य सही व सत्य होना कबूल करता हूं।

शपथकर्ता

हिमांशू भटट
पुत्र स्व0 श्री एच0 डी0 भटट,
निवासी–शैल शिखर, विनसेट हिल,
सरकुलर रोड (चमन स्टेट), मसूरी,
जनपद–देहरादून।

NOTARY (INDIA) ... OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Mrs. Subhta Ram
Advocate & NOTARY
Distt. Court, Dehradun
(Uttarakhand) INDIA
Regn.No.23(01)2017

PRADESH 1018 500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

मैं कुंवर कुसुमन नारायण दत्त सिंह नाबालिग आयु १५ पन्द्रह वर्ष सुपुत्र स्वर्गीय कुंवर गोपाल नारायण दत्त सिंह, अपनी माता व प्राकृतिक संरक्षिका कुंवर रानी गोविन्द कुमारी धर्मपत्नी स्वर्गीय कुंवर गोपाल नारायण दत्त सिंह, निवासी शहर लखीमपुर कोठी राजापुर परगना व जिला खीरी डाकखाना व तहसील लखीमपुर, द्वारा अपने मुख्तार खास श्री केदार सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह निवासी युवराजदत्त सिंह कालेज लखीमपुर खीरी, मुख्तार नामा खास दिनांक २१.११.१९७४ ईसवी के आधार पर जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर ४ की जिल्द २१२ के पन्ने ६५ व ६६ पर दिनांक २२.११.१९७४ ईसवी को कार्यालय सब रजिस्ट्रार लखीमपुर खीरी में हुई है.......... विक्रेता,

विक्रेता की दादी रानी चन्द्रभान कुमारी ने विक्रय पत्र दिनांक २.७.१९३७ ईसवी द्वारा जिसकी रजिस्टरी बही नम्बर १ की जिल्द ४६ के पन्ने ३७२ से ३७४ पर क्रमांक ६४ दिनांक ३.७.१९३७ ईसवी को कार्यालय

Kedar Singh

[illegible] 516 H D [illegible] 200 [illegible]

2/11/75

1200

[illegible] कि.मूल रबि मूल [illegible]

13

2000/- 251.00 300 ~~258.75~~

24000/- 254.00

श्री ... केदार सिंह ...

पुत्र ... श्री बड़े सिंह ...

नि० ... मुबारकपुर ... (305)

[illegible] दिनांक ... 25.11.68

[illegible] 2453 ... 26.11.75

Kedar Singh

Receives Form No. 37 - G (L. T. A. C.) in Duplicate

[illegible] की आवश्यक [illegible] द्वारा [illegible] संख्या [illegible] (6269) दिनांक 11.11.75 द्वारा दी गई है। [illegible] की फाइल [illegible]।

श्री ... केदार ... सिंह ...

[illegible] विक्रय धन रु० 20000 [illegible] 11900 [illegible]

[illegible] स्वीकार किया। [illegible]

[illegible] भवानन्द [illegible]

[illegible]

[illegible]

Kedar Singh

26.11.75

भवानन्द शर्मा

[illegible signature]

PRADESH 500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रू.

Rs500

भारत

पाँच सौ रूपया FIVE HUNDRED RUPEES

सब रजिस्ट्रार मंसूरी में हुई, पास में श्री एस० गुलाम अहमद किराया वाला नीचे लिखी सम्पति सम्मिलित परिवार के धन से खरीद की, उसके पश्चात उनका देहान्त हो गया और मैं विक्रेता व सम्मिलित परिवार के अन्य सदस्य इसके स्वामी हुये. उसके पश्चात विक्रेता व विक्रेता के पिता व माता व अन्य सदस्यों का बंटवारा हो गया और इसके द्वारा यह नीचे लिखी सम्पति व अन्य सम्पति विक्रेता के भाग में आई व अन्य सदस्यों के भाग में अन्य सम्पति आई और इसके अनुसार सब सदस्य पृथक पृथक अपने अपने भाग में आई सम्पति के स्वामी हो गये. इसके पश्चात विक्रेता ने इस विभाजन के सम्बन्ध में दावा दीवानी नम्बर २६ सन् १९७१ ईसवी न्यायालय सिविल जज [illegible] कुंवर प्रद्युमन नारायण दत्त सिंह बनाम राजा युवराज दत्त सिंह आदि इस बंटवारे के अधिकार घोषित कराने इस्तकरारहक, का दाखिल किया जो दिनांक २५.८.१९७१ ईसवी को

PRADESH 500 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

भारत

पाँच सौ रुपया FIVE HUNDRED RUPEES

डिगरी हुआ और इस डिगरि के अनुसार उपरोक्त बंटवारे को मान कर विक्रेता इस नीचे लिखी व विवरण सम्पत्ति के खन्ड :अ: में लिखी अन्य सम्पत्ति का स्वामी घोषित किया गया . इस प्रकार विक्रेता इस सम्पत्ति का अकेला स्वामी है इसमें विक्रेता का अन्य कोई साझी व भागी नहीं है विक्रेता को इस सम्पत्ति को हस्तान्तर करने का पूरा हक व अधिकार है. विक्रेता अल्पवयस्क ,नाबालिग, है . विक्रेता ने अपनी माता कुंवर रानी गोविन्द कुमारी द्वारा अपनी इस सम्पत्ति को २०००० रुपये बीस हजार रुपये में बेचने की आज्ञा हिन्दू गारजियनशिप एक्ट के अनुसार न्यायालय जिला जज महोदय देहरादून से मुकदमा मुतफर्रिका नम्बर १७४ सन् १९७४ ईसवी में उनके आदेश दिनांक १९.१०.१९७४ ईसवी द्वारा इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि कुल कीमत में से आधी कीमत विक्रेता के नाम से बैंक में जमा की जावे जिसको विक्रेता बालिग होकर वसूल कर सके . अतः अब

पृष्ठ. ४.

विक्रेता ने हर प्रकार अपनी इच्छा व अनुमति व अपने शुद्ध व स्वस्थ मन व बुद्धि से अपनी यह नीचे लिखी सम्पत्ति जिसका विक्रेता ऊपर लिखे अनुसार अकेला पूर्ण स्वामी है अन्य कोई साझी व भागी नहीं है और विक्रेता को इस सम्पत्ति को हर प्रकार हस्तान्तर करने का पूरा हक व अधिकार है . हर प्रकार के भार कुर्की जमानत व रहन आदि से मुक्त अपने कुल अधिकार स्वामित्व व आधिपत्य व अधिकार निकास पानी, रास्ता, हवा व रोशनी आदि सहित जो भी मुझ विक्रेता को प्राप्त हैं, प्राप्त होने वाले हों व प्राप्त हो सकते हैं वह सब अंकन 20000 रुपये बीस हजार रुपये में जिसके आधे 10000 रुपये दस हजार रुपये होते हैं डाक्टर हरि दत्त भट्ट पुत्र श्री बलराम भट्ट निवासी नून नकुल देहरादून को पूर्ण रूप व हर प्रकार से विक्रय कर दी व बेच दी है और इसकी कीमत में से 8500 रुपये आठ हजार पाँच सौ रुपये विक्रेता ने खरीदार महोदय

R PRADESH 200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रू. Rs200

भारत

दो सौ रूपया TWO HUNDRED RUPEES

पृष्ठ. ५.

से अग्रिम रूप में पहले इस प्रकार कि ५००० रूपये पांच हजार रूपये का
चैक व ३५०० रूपये तीन हजार पांच सौ रूपये नकद प्राप्त कर लिये हैं
जिसकी प्राप्ती विक्रेता स्वीकार करता है व शेष राशि ११५०० रूपये
ग्यारह हजार पांच सौ रूपये विक्रेता ने खरीदार महोदय से इस विक्रय
पत्र की रजिस्ट्री के समय श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय के सामने प्राप्त
करने हैं. इस प्रकार इसकी कीमत के कुल २०००० रूपये बीस हजार रूपये
विक्रेता ने खरीदार महोदय से प्राप्त किये हैं कुछ शेष नहीं रहा है.
इस राशि में से १०००० रूपये दस हजार रूपये विक्रेता की माता व
संरक्षका कुंवर रानी गोविन्द कुमारी श्रीमान जिला जज महोदय की
आज्ञानुसार बैंक में जमा करा देगी. कोठी खाली है और विक्रेता के कब्जे
में है अन्य किसी का कब्जा नहीं है. इसलिये इस प्रकार से अपना कब्जा व
दखल कार्य व मालिकाना विक्रेता ने इस विक्रीत सम्पत्ति से हटाकर खरीदार

R PRADESH 200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२००रु. Rs 200

भारत

दो सौ रुपया TWO HUNDRED RUPEES

४६.

महोदय को दे दिया है अब वह विक्रेता के समान उक्त सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी हो गये हैं, उनको पूर्ण अधिकार है कि वह जिस प्रकार चाहे इस सम्पत्ति से लाभ उठावे व अपने उपयोग व उपभोग में लावे चाहे हस्तान्तरण आदि करे विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी. विक्रेता का अब कोई सम्बन्ध उक्त विक्रीत सम्पत्ति से नहीं रहा है. यदि अब या भविष्य में कोई व्यक्ति विक्रेता का वारिसान व भागीदार इस विक्रीत सम्पत्ति पर अपना अधिकार जतावे तो उसका उत्तरदायित्व मुक्त विक्रेता पर होगा और यदि किसी आज्ञा नहीं है किसी प्रकार से विक्रेता के अधिकार में कमी होने से यह विक्रीत सम्पत्ति अथवा उसका कोई भाग खरीदार महोदय के कब्जे से निकल जावे या उनको हानि पहुँचे तो विक्रेता उसका जिम्मेदार होगा और खरीदार महोदय को अधिकार होगा कि वह ऐसी क्षति मय हर्जे खर्चे व हर्ज अपना

PRADESH 100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs100

भारत

एक सौ रूपया ONE HUNDRED RUPEES

रोकड़ा मासिक ब्याज सहित मुक्र विक्रेता से वसूल कर ले . विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि खरीददार महोदय को अपने विश्वास के लिये इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में मुक्र विक्रेता से अन्य कोई लेख वैधानिक रूप से लिखाना जरूरी हो तो मैं विक्रेता ऐसा लेख खरीददार महोदय के हि खर्चे से उनके हक में लिख दूंगा कोई आपत्ति नहीं करूंगा . नगरपालिका का जलकर , चुंगीकर, मलकर व अन्य कुल जिम्मेदारी जो इस सम्पत्ति पर होगी वह आज तक की मैं विक्रेता बेबाक करूंगा और आज से टैक्स खरीददार महोदय देवेंगे . इस सम्पत्ति में बिजली व पानी चालू हालत में है. मुक्र विक्रेता व खरीददार महोदय में दोनों के उत्तराधिकारी व स्थानापन्न भी शामिल हैं..

विवरण इस विक्रीत सम्पत्ति का यह है.

सम्पत्ति स्कटले लाज मसूरी . इस में स्पष्ट किया जाता है कि यह कोठी

ADESH 45 Rs.

पैंतालीस रुपया

भारत INDIA

४५रु. FORTY FIVE RUPEES 45Rs

मौके व सम्बन्ध की कुल भूमि व अन्य कुल अधिकार सहित बेची गई है. इसके पूर्व में एस्टेले स्टेट, पश्चिम में नूर मंज़िल या मुनक्किा, उत्तर में मास्कूला रोड, दक्षिण में एस्टेले स्टेट है, इस सम्पत्ति का असेसमेन्ट १२०० रुपये एक हजार दो सौ रुपये सालाना है कीमत बैठाने पर २४००० रुपये चौबीस हजार रुपये होती है, इसी राशि पर स्टाम्प दिया गया किन्तु वास्तव में इस सम्पत्ति की कीमत बाजारी मुवाफिक २०००० रुपये बीस हजार रुपये है इसी कीमत में यह सम्पत्ति बेचे व खरीदे गई है, इस सम्पत्ति के सम्बन्ध की भूमि का क्षेत्रफल १.१७ एकड़ एक दशमलव एक सात एकड़ है. विक्रेता ने इस सम्पत्ति को बेचने की आज्ञा माननीय जिलाधीश महोदय से उनके आदेश सं. मैमो, बी.एस.ओ. ११/७२-७५, दिनांक ११.११.१९७४ ईसवी द्वारा प्राप्त कर ली है इसी के अनुसार यह सम्पत्ति विक्रय की गई है..........................

RADESH 35 Rs.

पृष्ठ.६.

....इस वास्ते यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे. इति लिखित दिनांक २६ छब्बीस नवम्बर सन् १९७४ उन्नीस सौ चौहत्तर ईसवी.

हस्ताक्षर.......

साक्षी. गंगानन्द शर्मा साक्षी.
२१/५३ खुड़बुड़ा
देहरादून

ह० रामचन्द्र. प्रमाण पत्र लेखक. देहरादून. स्वलिखित.

सुशील कुमार टिम्पी टाईपिस्ट देहरादून.